भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, नई दिल्ली में दिनांक 2 मार्च, 2009 को 11.00 बजे डॉ. ज़ाकिर हुसैन स्मारक व्याख्यान के अवसर पर दिया गया अभिभाषण

देवियो और सज्जनो,

इस कॉलेज में आने वाला कोई भी व्यक्ति दिल्ली के बौद्धिक इतिहास में इस कॉलेज के स्थान को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मुगल युग का मदरसा गाज़ीउद्दीन, बड़े परिवर्तनकाल की अवधि में जो कुछ हुआ उसका वास्तव में गवाह और बहुत हद तक भागीदार रहा है। इसके बावजूद, इसने समय के अनुसार शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है।

इस कहानी का एक पहलू यह है कि अगर इस कॉलेज के मामले में प्रोटोकॉल का मामूली मुद्दा न उठा होता तो इस कॉलेज के अध्यापकों में शायर असादुल्लाह खां गालिब का नाम शुमार होता।

मेरे यहां आने का मौका रोमांचक भी है और श्रद्धापूर्ण भी है। भारत के एक महान सपूत के सम्मान में एक स्मारक व्याख्यान देना खुशी और गौरव की बात है।

ज़ाकिर हुसैन एक अनुकरणीय मानव थे। जब वह अलीगढ़ में कुलपति थे, तो मैं उस समय पूर्व-स्नातक का विद्यार्थी हुआ करता था। एक शाम, हममें से कुछ विद्यार्थी एक हॉकी मैच से लौट रहे थे, उसी समय वह कॉलेज परिसर के संकरे रास्ते से धीमी चाल से गाड़ी चलाते हुए वहां से गुजरे। कार कुछ दूर जाकर रुक गई, वह कार से उतरे, हमारी तरफ आए और कहा: “क्या आप लोगों को घर पर यह नहीं बताया गया कि बुज़ुर्गों को सलाम करते हैं”? अधिकतर विद्यार्थी सकते में आकर खामोश हो गए, परंतु समूह में से एक विद्यार्थी ने जवाब दिया: “बुज़ुर्गों को सलाम करने का क्या फ़ायदा जब वो सलाम का जवाब नहीं देते”।

ज़ाकिर साहब ने अपने खास अंदाज़ में जवाब दिया: “मेरे भाई, अगर मुझसे कभी ऐसी ग़लती हुई हो तो माफ़ करना।”

एक पीढ़ी बाद, ज़ाकिर हुसैन अधिकतर लोगों द्वारा हमारे गणतंत्र के एक प्रतिष्ठित और विद्वान राष्ट्रपति; और पुरानी दुनियावी तहजीब और अदब की मूर्ति के रूप में याद किए जाते हैं। आज कुछ लोग बल्कि बहुत थोड़े लोग ही एक विचारक और शिक्षाविद् के रूप में उनके कार्य को याद करते हैं। उनके विचार स्वप्नमयी नहीं थे। उनके विचार व्यावहारिक दृष्टि से विकसित हुए थे; ओखला स्थित संस्थान उनकी प्रयोगशाला थी, जो आज एक जीवंत विश्वविद्यालय है, जी हां, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का उल्लेख कर रहा हूं।

गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित ज़ाकिर हुसैन साहब का ध्यान एक सम्पूर्ण मानव के विकास के लिए मस्तिष्क, शरीर और अंतर्मन के प्रशिक्षण पर केंद्रित था। वर्ष 1938 का एक लेख जामिया के प्राथमिक उद्देश्य के संबंध में उनके विचार पर प्रकाश डालता है: आस्था की जरूरत और सर्वाधिक व्यापक अर्थों में एक भारतीय सांस्कृतिक पहचान के विकास की जरूरत के बीच महसूस किए जाने वाले विरोधाभास को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करना।

वह अपनी खोज में अकेले नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे कई नेताओं ने युवाओं की शिक्षा के प्रश्न पर विचार किया था। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पहल गांधीजी की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1937 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के बाद प्रस्तावित वर्धा शिक्षा योजना, और उसी से प्रकट *नई तालीम* थी।

उस सम्मेलन में पारित संकल्पों को याद करना उपयोगी है:

पहला, राष्ट्रव्यापी स्तर पर नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए;

दूसरा, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए;

तीसरा, इस अवधि के दौरान शिक्षण की प्रक्रिया किसी-न-किसी रूप में शारीरिक और उत्पादक कार्य के इर्द-गिर्द होनी चाहिए और दिए जाने वाले प्रशिक्षण से विकसित होने वाली

क्षमताएँ, यथासंभव, बालक के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, चुने गए मुख्य हस्तशिल्प के साथ एकीकृत होनी चाहिए;

चौथा, शिक्षा की यह प्रणाली धीरे-धीरे शिक्षकों का पारिश्रमिक जुटाने में समर्थ हो जाएगी।

वर्धा योजना के पहले दो संकल्पों को गणतंत्र के संविधान में भी शामिल किया गया था। शिक्षा का अधिकार आजादी के छ: दशक बाद भी लागू नहीं हो सका है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं देश के सभी भागों में मौजूद नहीं हैं।

वर्धा योजना के अंतिम दो संकल्प हमारे राष्ट्र-निर्माताओं की दूरदृष्टि का एक ऐसा घटक है जिसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। *नई तालीम*, सभी प्रयोजनों के लिए, निष्प्राण है। यहां तक कि देश की गांधीवादी संस्थाएं भी *नई तालीम* की मूल भावना का अक्षरश: पालन नहीं कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने की बात तो दूर रही, शिक्षा या तो राज्य-समर्थित हो चुकी है जिसकी गुणवत्ता प्रश्नों के दायरे में है, या फिर व्यापारिक और कुलीनवादी हो चुकी है जो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर है।

मित्रो,

रोजगार-प्राप्ति की सुगमता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता आकार और आबादी की दृष्टि से हमारे देश जैसे किसी विशाल देश के लिए स्वत:सिद्ध है। हमारी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार की विचित्रताओं के कारण यह आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। मैं इनमें से कुछ की चर्चा करूंगा।

सर्वप्रथम, कुल आबादी का 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कामकाजी आयु वर्ग में आती है, जिसमें बाल निर्भरता अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक और वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक है। यह मुख्यत: युवाओं की संख्या को दर्शाता है।

दूसरा, अधिकांश जनशक्ति के पास कौशल की कमी और निम्न स्तरों की शैक्षिक योग्यता है। यह अनुमान है कि औद्योगीकृत देशों के 60-80 प्रतिशत के स्तरों की तुलना में, 20-24 आयु वर्ग में हमारी मात्र 5 प्रतिशत श्रमशक्ति ने ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया

है। लगभग 65 प्रतिशत जनशक्ति या तो निरक्षर है या उसने सिर्फ प्राथमिक स्तर तक ही साक्षरता हासिल की है। बेरोजगारों में, करीब 70 फीसदी तादाद ऐसे लोगों की है जो शिक्षित तो हैं, लेकिन जिनके पास अपेक्षित व्यावसायिक कौशल नहीं है। इससे शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने के बीच ऐसा अंतर स्पष्ट होता है जो कि नौकरियों के लिए अपेक्षित स्तर के कौशलों से भिन्न है।

तीसरा, अन्य विकासशील देशों की तुलना में भी, भारत में कुल श्रम उत्पादकता बहुत कम है। उदाहरणार्थ, भारत में श्रम उत्पादकता मैक्सिको के आंकड़ों का एक-चौथाई होने का अनुमान है।

चौथा, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे यहां अधिक है। ऐसा अनुमान है कि 90 प्रतिशत स्कूली छात्र जो ग्रेड 1 में प्रवेश करते हैं ग्रेड 12 तक पहुंचने तक स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे छात्रों की संख्या 180 मिलियन से भी अधिक है। फिर भी, 400 मिलियन से अधिक की कुल श्रम शक्ति तथा 7-8 मिलियन नए कामगारों के वार्षिक प्रवेश के लिए हमारे पास देश में करीब 3 मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण स्थान (स्लॉट) ही उपलब्ध हैं। इन व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों में से बहुत कम अवसर ही स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध होते हैं।

अन्ततः, भारत विकासशील देशों में एक ऐसा अनूठा देश है जिसकी 93 प्रतिशत जनशक्ति लगभग 60 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का उत्पादन करने वाले असंगठित क्षेत्र में नियोजित है। हमारे देश में औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली की संरचना शिक्षितों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन यह सीमित शैक्षिक योग्यता वाले ऐसे लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं करती, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

देवियो और सज्जनो इसका निदान स्पष्ट है। अब प्रश्न प्रस्तावित उपचार के बारे में है। इसकी अत्यावश्यकता सुस्पष्ट है।

कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार प्राप्ति पर एकल विषयों के रूप में ध्यान नहीं दिया जा सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रयासों को संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति में वृद्धि करने और असंगठित क्षेत्र में नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ही किया जाना चाहिए।

गत वर्ष जारी किए गए राष्ट्रीय रोजगार नीति के मसौदे में कौशल प्रशिक्षण को शैक्षिक प्रणाली के साथ जोड़ने तथा व्यावसायिक शिक्षा को हाई स्कूल ग्रेड 9 स्तर तक एक विकल्प के रूप में प्रस्तावित करने की बात कही गई है। इसमें प्रकार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार अधिकांश कम शिक्षा-प्राप्त कार्य बल तक किए जाने की आवश्यकता भी बताई गई है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में कौशल प्रशिक्षण को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा आई सी डी एस जैसे बड़े पैमाने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण घटक बनाये जाने की बात की गई है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विस्तार के लिए चार वैकल्पिक प्रदाय मॉडलों का सुझाव दिया है।

पहला, सार्वजनिक-निजी साझेदारी वाली संस्थाओं को प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र के योगदान से लाभ मिलेगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा उद्योग के बीच वर्द्धित संपर्क से लाभ मिलेगा।

दूसरा, एक विकेन्द्रीकृत मॉडल का सुझाव दिया गया है जो सस्ता और पहुंच के भीतर हो तथा जिसमें मौजूदा अवसंरचना पर आधारित स्थानीय स्तर पर कम गंभीरता एवं कम लागत वाले कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित होगा।

तीसरा, शिक्षा जारी रखने के लिए दूरस्थ शिक्षण मोड्यूल्स एव कर्मकारों का कौशल उन्नयन।

चौथा, आई सी टी प्लेटफॉर्मों की प्रभावन क्षमता के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा साक्षरता एवं कृषि के क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऐसे ही प्रयास किया जाना।

देवियो और सज्जनो,

हमें वर्तमान में 17 भिन्न-भिन्न संगठनों और विभागों में फैली हमारी खंडित व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को पुन:संगठित करने एवं पुन: अनुस्थापित करने की जरुरत है। हमें कौशल-मानकों, प्रत्यय पत्रों एवं योग्यताओं की अंतरणीयता की अनुमति देनेवाले मूल्यांकन एवं प्रमाणनों का ढांचा सुनिश्चित करने की भी जरुरत है। अपने कार्य बल को विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अपने प्रत्यायन एवं प्रमाणीकरण मानदंड वैश्विक मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहुंच तथा इसके क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता सरकार की जानकारी में है। प्रधानमंत्री ने इस बात को नोट किया है कि कौशल आपूर्ति की कमी से विकास बाधित हो सकता है और इस कमी को न सिर्फ उच्च-प्रौद्योगिकीय कौशल में महसूस किया जाता है बल्कि इसे नलसाजों, इलेक्ट्रिशियनों एवं नर्सों जैसे आधारभूत कौशलों में भी महसूस किया जा सकता है। इस कौशल कमी को पूरा करने के लिए सरकार ज्ञान-भंडार के विभिन्न स्तरों पर नई संस्थाएं खोलने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा मिशन पर विशेष बल दिया जाएगा।

मित्रो,

शैक्षणिक मामलों में उनके गहन ज्ञान को देखते हुए ज़ाकिर हुसैन जो कुछ हासिल हो चुका है, उसकी सीमाओं को लेकर स्पष्टवादी थे। वर्ष 1967 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में किए गए अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का अत्यन्त शक्तिशाली माध्यम बताया: 'हमें तत्काल शिक्षा में क्रांति की जरुरत है जो हमारी आवश्यकतानुसार सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रांति ला सकती है'। उन्होंने 'समुचित शैक्षणिक नेतृत्व को

असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया और यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को शिक्षण, अनुसंधान और नेतृत्व प्रशिक्षण के परम्परागत कार्यों के अलावा सामुदायिक सेवा और प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

तीन दशकों के पश्चात् विकास के कुछ संकेत मिले हैं; तथापि, क्रांति की अभी भी प्रतीक्षा है।

ज़ाकिर हुसैन ने बदलाव की तलाश की मिसाल कायम की। उनके एक अनुज सहकर्मी ने लिखा कि जाकिर साहब ने निःसंदेह मोहम्मद इकबाल की सलाह का समर्थन किया:

कनात न कर आलम-ए-रंग-ओ बू पर
चमन और भी, आशियां और भी हैं
तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा
तेरे सामने आसमां और भी हैं
इसी रूज़-ओ-शब में उलझ कर ना रहजा
कि तेरे जमां और मकां और भी हैं

मुझे विश्वास है कि इन श्रोताओं में से कुछ युवा ऐसे नेतृत्व के लिए आगे आएंगे और ज़ाकिर हुसैन साहब के स्वप्न को साकार करेंगे।

मैं आज डा. असलम परवेज़ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।